न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी - श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

प्रकरण संख्या :– 06/2021

दायर दिनाँक : - 02.02.2021

निर्णय दिनाँक :- 12.04.2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. गणेश पिता जसा नायक निवासी - जुना हड़मतिया मजरा बूल, तहसील - भूपालसागर जिला - चित्तौड़गढ़		1. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार तहसील - भूपालसागर जिला - चित्तौड़गढ़

राजस्व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा - 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :- श्री शब्बीर मोहम्मद वकील प्रार्थी
श्री पैरोकार सरकार भूपालसागर अप्रार्थी

* निर्णय *

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार से है -

1. यह है कि प्रार्थी के मौजा जूना हड़मतिया मजरा बूल प॰ह॰ बूल तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी में साबिक रेकर्ड मे दर्ज आराजियात में प्रार्थी का नाम गणेश पिता जसा दर्ज रिकॉर्ड है जो रेवेन्यु रेकर्ड संवत 2033 दिनाँक 08.11.1976 की पासबुक मे दर्ज है जो सही है और इसी अनुसार प्रार्थी का आधार कार्ड भी बना हुआ है तथा साबिक जमाबंदी संवत 2031-2040 में भी उक्त गणेश पिता जसा ही दर्ज रेकर्ड है।
2. यह है कि सेटलमेन्ट कर्मचारी ने प्रार्थी का नाम व पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया। मेरा नाम गणेश व पिता का नाम लछा दर्ज कर गणेश पिता लछा कर दिया जो वर्तमान रेकर्ड में भी गणेश पिता लछा ही दर्ज रेकर्ड है जो वर्तमान खाता संख्या - 45, 46 व 47 मे गलत नाम दर्ज रेकर्ड है।

12.4.21
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:06:12 IST
Reason: SelfAttested

—— लगातार ——

Scanned with CamScanner

यह है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा रेवेन्यु रेकर्ड मे गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी कृषि ऋण नही ले सकता, सरकार द्वारा फसल खराबे की राशी नही मिलती है। अत: प्रार्थी के साबिक रेकर्ड मे दर्ज गणेश पिता जसा दर्ज है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे भी गणेश पिता जसा दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार भूपालसागर को सम्मन जारी किया गया एवं तहसीलदार भूपालसागर द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसमे बताया कि वादपत्र के साथ संलग्न नकल जमाबंदी मे दर्ज आ०न० 317, 319, 320, 329, 194, 210 के साबिक जमाबंदी (2037-40) के खाता नम्बर 20, 21 मे वादी का नाम (खाता न० 20 मे गुणेश पिता लच्छा) एवं खाता संख्या-21 मे गणेश पिता लच्छा) दर्ज है। वादपत्र के पैरा नम्बर 2 मे वर्णित खाता नम्बर 45, 46, 47 के साबिक जमाबंदी मे वादी का नाम गुणेश पिता लच्छा ही दर्ज है। साबिक व हाल रेकर्ड से प्रार्थी के इन्द्राज दुरुस्ती का प्रकरण नही बनता है अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने तहसीलदार भूपालसागर के जवाब प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। अत: उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 12.04.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:06:12 IST
Reason: SelfAttested

12.4.21
(सुखाराम पिण्डेल)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner